

पर्यटकों को दिन-रात में जयपुर घुमाने के लिए लग्जरी बसें चलाने की तैयारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग और निजी सहभागिता से डे-नाइट बस टूर ऑपरेट करने के निर्देश दिए

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को पर्यटन, कला-साहित्य एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के शीघ्रता से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान घरोहर प्राधिकरण के चैयरमैन अंकार सिंह लाखावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 14 से 19 मार्च तक राजस्थान दिवस सप्ताह को पूर्ण भव्यता के साथ प्रदेश भर में आयोजित करें।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोक कलाओं का भव्यता से प्रदर्शन हो तथा राज्य की कला एवं संस्कृति को केंद्र में रख कर राजस्थान दिवस समारोह को सफल बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 18 नवंबर 2027 को जयपुर के स्थानों के 300 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए भव्य समारोह की रूपरेखा तैयार की जाए।

उपमुख्यमंत्री ने जयपुर में आने वाले पर्यटकों को दिन-रात में घूमने के लिए पर्यटन विभाग-निजी सहभागिता से डे व नाइट बस टूर ऑपरेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को पर्यटन, कला-साहित्य एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की समीक्षा बैठक ली।

कहा कि अच्छी लग्जरी बसें, जो कि पर्यटन स्मारकों के भव्य चित्रों से सुसज्जित हों, ऐसी बसों का संचालन करे जाने की कार्य योजना बनाकर पेश करें।

उपमुख्यमंत्री ने गाइड्स को स्थानीय कला, संस्कृति, इतिहास की अधिकृत जानकारी देने के लिए रिफ्रेश कोर्स करवाने, संस्कृति एवं

इतिहास के विशेषज्ञों से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटकों को भ्रमण के दौरान ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक जानकारी मिल सके। उन्होंने पर्यटन विभाग की ओर से तैयार किए जाने वाले एप व वेबपोर्टल पर शीघ्रता से कार्य करने का निर्देश दिए, साथ ही एप व पोर्टल पर पर्यटक

सहायता बल की आवश्यकता जानकारी भी उल्लेखित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, पुष्कर प्रोजेक्ट, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट आदि महत्वपूर्ण घोषणाओं की त्वरित क्रियान्विति संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उप सचिव कला,

■ 14 से 19 मार्च तक राजस्थान दिवस सप्ताह को पूर्ण भव्यता के साथ प्रदेशभर में आयोजित करने के निर्देश दिए

साहित्य एवं संस्कृति तथा पुरातत्व अनुराधा गोगिया, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन पवन जैन, संयुक्त निदेशक पर्यटन राजेश शर्मा, संयुक्त निदेशक पर्यटन दलीप सिंह राठी, निदेशक पुरातत्व विभाग पंकज धरेन्द्र, राजस्थान घरोहर प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम रतन शर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखगार, बीकानेर चंद्रसेन शेखावत, सचिव राजस्थान साहित्य अकादमी, जयपुर कल्पक केन्द्र सचिव श्रुति मिश्रा, राजस्थानी भाषा, साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर शरद केवलिया, निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर डॉ. लता श्रीमाली, सचिव राजस्थान संगीत अकादमी गोमती शर्मा तथा अन्य समन्वित अधिकारी उपस्थित रहे।

ब्राह्मण सभा का अधिवेशन 14 मार्च से

जयपुर। विश्व ब्राह्मण सभा ट्रस्ट का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर महानगर में 14 मार्च से जेएलएन मार्ग मार्ग स्थित पंचायती राज सभा भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बुधवार को यहां जेएलएन मार्ग स्थित एक रेस्टोरेंट में 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी देते हुए विश्व ब्राह्मण सभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित देवनारायण जैन, राष्ट्रीय महामंत्री पं. महेश कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बुजेश शर्मा एवं एवं जयपुर महानगर अध्यक्ष पंडित रघुशर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बताया कि विश्व ब्राह्मण सभा का उद्देश्य समाज के अन्य सभी संगठनों को साथ लेकर चलना है जिससे की समाज खिलत और प्रगती की ओर अग्रसर हो। जब बौद्धिक समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो इसका लाभ राष्ट्र को एवं अंततः संपूर्ण विश्व को जरूर प्राप्त होता है। पंडित देवनारायण जैन ने बताया कि इसी उद्देश्य के साथ 13 एवं 14 मार्च को अधिवेशन में विभिन्न विषयों के लेकर विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों में समाज के विषय विशेषज्ञ जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के माध्यम से समाज में संस्कार मिशन और समृद्ध राष्ट्र की अवधारणा मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। एवं समाज को सशक्त बनाने के उपायों पर व्यापक चर्चा होगी चर्चा होगी।

राजस्थान विधानसभा का पंचम सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित : देवनानी

24 बैठकों में 184 घंटे चली सदन में कार्यवाही

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र को मंगलवार को सायं 6:06 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। स्पीकर देवनानी ने बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की कुल 24 बैठकें आयोजित हुईं तथा कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 184 घंटे तक सदन में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा और विधायी कार्य सम्पन्न हुए। देवनानी ने बताया कि सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 13 घंटे 14 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 10 घंटे 52 मिनट तथा अन्य दलों द्वारा 1 घंटा 37 मिनट चर्चा में भाग लिया। इसी प्रकार आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2026-27 पर सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने 9 घंटे 42 मिनट, कांग्रेस ने 8 घंटे 19 मिनट तथा अन्य दलों ने 1 घंटे 21 मिनट चर्चा में भाग लिया। अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 36 घंटे 56 मिनट, कांग्रेस द्वारा 21 घंटे 26 मिनट तथा

अन्य दलों की विधायकगण द्वारा 4 घंटे 25 मिनट तक अपने विचार व्यक्त किए गए। देवनानी ने बताया कि इस सत्र में विधायकों से विधानसभा को कुल 8919 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 4311 तारांकित, 4603 अतारांकित तथा 5 अल्प सूचना से संबंधित प्रश्न शामिल थे। इनमें से 440 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 232 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए। इसी प्रकार 451 अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध हुए। 16वीं विधानसभा में विगत चार सत्रों में 22735 प्रश्नों में से 22074 प्रश्नों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं। श्री देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार से लगभग 97 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब राजस्थान विधानसभा को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके द्वारा राजस्थान विधानसभा में लगातार की गई समीक्षा का परिणाम है। राजस्थान विधानसभा के लिए यह ऐतिहासिक है। देवनानी ने कहा कि प्रक्रिया नियम-50 के अंतर्गत कुल 371 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 84 प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया और 77 सदस्यों ने अपने विचार रखे। नियम-

295 के अंतर्गत 339 विशेष उल्लेख की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 309 सदन में पढ़ी गई या पढ़ी हुई मानी गई। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के अंतर्गत कुल 850 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 33 प्रस्ताव सदन की कार्यसूची में सूचीबद्ध किए गए। देवनानी ने बताया कि 16वीं विधानसभा के पांचवें सत्र में विधायकगण द्वारा 1107 पंचियों प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 84 पंचियों शलाका द्वारा चर्चानित हुईं तथा 71 सदस्यों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे। देवनानी ने बताया कि विधायी कार्य के अंतर्गत इस सत्र में कुल 10 विधेयक प्रस्तुत किए गए और सदन द्वारा पारित किए गए। इन विधेयकों पर कुल 171 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 17 संशोधन अग्रहण किए गए तथा 154 संशोधनों को स्वीकार किया गया। स्पीकर देवनानी ने बताया कि सत्र में वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक अनुमान पर चार दिनों तक सामान्य चर्चा हुई, जिसमें 84 विधायकों ने भाग लिया। विभागों से संबंधित 64 अनुदानों की मांगों में से 16 अनुदानों पर चर्चा के लिए 8 दिवस निर्धारित किए गए। अनुदानों की मांगों पर 3935 कटौती प्रस्तावों की सूचना

प्राप्त हुईं, जिनमें से 3599 प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए गए। देवनानी ने बताया कि विधायकों से 226 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 52 सदन में प्रस्तुत की गईं। विभिन्न समितियों के कुल 37 प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया। सत्र के समापन अवसर पर स्पीकर देवनानी ने सभी विधायकों का सदन के सुचारु संचालन में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभापतितालिका के सदस्यों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गार्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित सभी सदस्यों का विशेष धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

गैस किल्लत से थड़ी-ठेला, ढाबा व छोटे होटल संचालकों की रोजी-रोटी पर संकट : जूली

डबल इंजन सरकार की बेरूखी से बुझ रहा गरीब का चूल्हा, बेरोजगारी बढ़ी तो इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी : नेता प्रतिपक्ष

जयपुर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश और देश में गहराते रसोई गैस (एलपीजी) संकट तथा कीमतों में हुई भारी बढोतरी को लेकर भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने कहा कि एक ओर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की वृद्धि कर आम आदमी को कमर तोड़ दी गई है, दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हो रही है। इस कुप्रबंधन के कारण प्रदेश भर में गैस की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार स्थिति को संभालने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर समस्या का समाधान ढूँढने के बजाय दिल्ली की ओर देखती रहती है कि वहां से कोई पच्ची आएगी, जबकि प्रदेश की जनता को राहत देने की जिम्मेदारी खुद राज्य सरकार की है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत ने

उसके पेट पर ही पड़ती है। गैस किल्लत ने थड़ी-ठेला और छोटे होटल संचालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। यदि इस कारण प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि जो सरकार आम आदमी को ईंधन जैसा बुनियादी संसाधन भी उपलब्ध नहीं करा सकती, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा की नीतियां स्पष्ट रूप से जनविरोधी और अस्वेच्छनीय हैं, जो आम जनता की उम्मीदों को सहारा देने के बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत केंचों के माध्यम से मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर लाखों परिवारों को राहत दी थी। लेकिन भाजपा सरकार के आते ही जनता को मिलने वाली वह राहत समाप्त कर दी गई।

गौ कल्याण के लिए राज्य सरकार लाएगी 'गौ सेवा नीति' : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना तथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से पशुपालकों को संबल मिला : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कांस)। प्रदेश में गौर संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गौ सेवा नीति, 2026 लाने की घोषणा की है।

इस नीति के अंतर्गत गौ सेवा और गौ कल्याण को अधिक गति प्रदान की जाएगी, जिससे गोधन का विकास होगा। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही किसानों और पशुपालकों को संबल प्रदान करने में सहायक होगी। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुसार चार जातियों किसान, महिला, युवा और मजदूर के कल्याण के संकल्प को साकार करेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में पशुधन संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा की दिशा में समर्पित होकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से पशुपालकों को संबल मिला है। वहीं पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए प्रतिदिन 50 रुपये तथा छोटे पशु के लिए प्रतिदिन 25 रुपये का अनुदान गौर संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हुआ है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने कृषक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण पहलें की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के किसानों को 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष राशि सुनिश्चित करते हुए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी कृषक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का कृषि बजट रखा गया है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री शर्मा ने आगामी वर्ष से गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देने की घोषणा भी की है।

इससे किसानों को गेहूँ पर 2 हजार 735 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। साथ ही, इस निर्णय से राज्य सरकार ने संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप गेहूँ को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद का संकल्प भी पूरा कर लिया है।

आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं, लगता है डीजीपी दे रहे संरक्षण : हाईकोर्ट

अदालती आदेश के बावजूद कानोता थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनडीपीएस से जुड़े मामले में अदालती आदेश के बावजूद कानोता थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि डीजीपी को जांच के लिए आदेश भेजते हुए दो माह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन पेश की गई रिपोर्ट से लगता है कि थानाधिकारी के कृत्य के उच्चतम पुलिस अधिकारी की ओर से संरक्षित किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि जज पुलिस अधिकारी को ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है तो हम यह मानते हैं कि पुलिस स्टेशन लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए कोई महिला रात के समय छेड़छाड़ या दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने को कहा था, लेकिन पेश की गई रिपोर्ट को देखने से लगता है कि मामले में थानाधिकारी को बचाया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता टीएल पांडे ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि जबी के बाद सील को नष्ट कर दिया जाएगा तो याचिकाकर्ता के प्रकरण में पहले से काम में ली गई सील कैसे उपयोग ली गई।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कानोता थाने के तत्कालीन थानाधिकारी डॉ. गौतम ने 2 मार्च, 2024 को एनडीपीएस की कार्रवाई करते हुए जीतू लाल योगी के कब्जे से जब्ती की कार्रवाई की थी और मामला दर्ज किया था। इस दौरान बनाए गए मेमो के अनुसार जब्ती की सील को नष्ट कर दिया गया था। वहीं इसी दिन दर्ज एनडीपीएस की दूसरी एफआईआर में भी थानाधिकारी ने जब्ती के दौरान पुरानी सील का प्रयोग किया, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत सील का एक प्रकरण ही उपयोग हो सकता है। इस पर अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर डीजीपी को कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन पेश की गई रिपोर्ट को देखने से लगता है कि मामले में थानाधिकारी को बचाया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता टीएल पांडे ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि जब्ती के बाद सील को नष्ट कर दिया जाएगा तो याचिकाकर्ता के प्रकरण में पहले से काम में ली गई सील कैसे उपयोग ली गई।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कानोता थाने के तत्कालीन थानाधिकारी डॉ. गौतम ने 2 मार्च, 2024 को एनडीपीएस की कार्रवाई करते हुए जीतू लाल योगी के कब्जे से जब्ती की कार्रवाई की थी और मामला दर्ज किया था। इस दौरान बनाए गए मेमो के अनुसार जब्ती की सील को नष्ट कर दिया गया था। वहीं इसी दिन दर्ज एनडीपीएस की दूसरी एफआईआर में भी थानाधिकारी ने जब्ती के दौरान पुरानी सील का प्रयोग किया, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत सील का एक प्रकरण ही उपयोग हो सकता है। इस पर अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर डीजीपी को कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन पेश की गई रिपोर्ट को देखने से लगता है कि मामले में थानाधिकारी को बचाया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता टीएल पांडे ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि जब्ती के बाद सील को नष्ट कर दिया जाएगा तो याचिकाकर्ता के प्रकरण में पहले से काम में ली गई सील कैसे उपयोग ली गई।

खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून की दिशा में सरकार के प्रयास हुए तेज

मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में समिति की द्वितीय बैठक आयोजित

जयपुर (कांस)। राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सख्त कानून लाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी क्रम में जयपुर स्थित राजकीय आवास पर संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित खेजड़ी संरक्षण अधिनियम के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा करते हुए गहन मंथन किया गया। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, उद्योग राज्यमंत्री के.के. बिशोई, विधायक पम्बारागम बिशोई, पूर्व विधायक बिहारी लाल बिशोई सहित विधि विभाग के अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।



संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति की द्वितीय बैठक बुधवार को आयोजित हुई।

खेजड़ी वृक्ष न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बल्कि पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की अवैध कटौत पर निभाता है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण तथा जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी एवं सशक्त कानूनी प्रावधान सुनिश्चित

करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा मजबूत कानून तैयार करना है, जिससे खेजड़ी वृक्षों की अवैध कटौत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके तथा प्रदेश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय विरासत को सुरक्षित रखा जा सके। पटेल ने बताया कि बैठक में अधिनियम के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा विभिन्न

राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण संबंधी कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा वृक्ष संरक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले प्रारूप विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर गहन मंथन किया गया तथा प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से विचार-विमर्श करते हुए संभावित प्रावधानों पर सुझाव दिए गए। पटेल ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ बनाने तथा राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर

- प्रस्तावित खेजड़ी संरक्षण अधिनियम के प्रारूप पर समिति ने किया गहन मंथन
- विभिन्न राज्यों के वृक्ष संरक्षण कानूनों के तुलनात्मक अध्ययन पर भी हुई चर्चा
- आगामी 22 मार्च 2026 को होगा समिति की अगली बैठक का आयोजन

साबित होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए राजस्थान की प्राकृतिक और पारिस्थितिक विरासत को सुरक्षित रखा जा सके। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उसे अंतिम रूप देने की दिशा में आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। समिति की अगली बैठक 22 मार्च 2026 को आयोजित की जाना प्रस्तावित है।

श्रीमाल वैश्य समाज ने मांगी धर्मशाला के लिए भूमि

जयपुर। श्रीमाल वैश्य समाज विकास समिति ने राज्य सरकार से मांग रखी है कि उन्हें धर्मशाला और समाज के सार्वजनिक कार्यों के लिए स्थान प्रदान दिया जाए। बताया जा रहा है कि श्रीमाल समाज संख्या की दृष्टि से बहुत ही छोटा है। हालांकि हमें यह मानते हैं कि धर्मशाला या समाज के कार्यों के लिए सार्वजनिक स्थान नहीं है। बताया जा रहा है कि श्रीमाल समाज के लोग 50 प्रतिशत टोक रोड पर और सांगानेर में निवास करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए समिति ने सरकार से भूमि आवंटन की मांग रखी है।

एसीबी ने एपीओ विकास अधिकारी की कार से 1.55 लाख रुपये बरामद किए

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कोटा टीम ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान पंचायत समिति कोटा-डी, जिला भीलवाड़ा के एपीओ विकास अधिकारी रामविलास मीणा की कार से 1 लाख 55 हजार 275 रुपये की सवारी राशि बरामद की है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि कोटा चौकी को गोपनीय सूचना मिली थी कि पंचायत समिति कोटा-डी, जिला भीलवाड़ा के विकास अधिकारी रामविलास मीणा, जिन्हें वर्तमान में पदस्थान की प्रतीक्षा (एपीओ) पर रखा गया है। पूर्व में पास किए गए बिलों के एवज में ठेकेदारों से अवैध राशि लेकर अपने वाहन से कोटा आ रहे हैं। सूचना को विश्वसनीय मानते हुए एसीबी टीम ने कोटा-चिचौली मार्ग पर हैरिंग ब्रिज टोल नाके के पास कार्रवाई की। यहां भारतीय स्विफ्ट वीडीआई कार में सवार रामविलास मीणा और वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान



आरोपी की जप्त कार

कार से 1 लाख 55 हजार 275 रुपये की राशि बरामद हुई। एसीबी के अनुसार पृष्ठताल में रामविलास मीणा इस राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद राशि को जप्त कर लिया गया। यह कार्रवाई उप महानिरीक्षक पुलिस आनन्द शर्मा के निर्देशन में तथा एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में पुलिस उप अधीक्षक अनीश अहमद सहित एसीबी कोटा की टीम शामिल रही।